पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जानें

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(एफ.आई.आर)

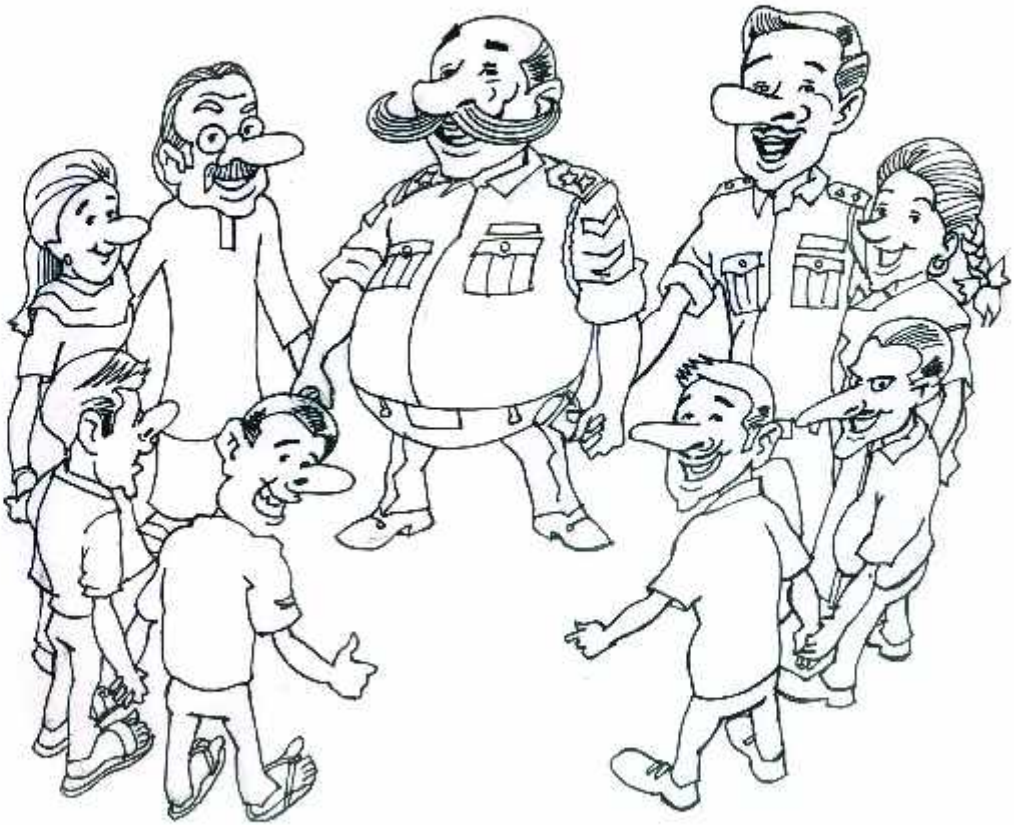

पुलिस सुधार : अति महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय

यह पुस्तिका **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.)** द्वारा **गृह मंत्रालय** के लिए **पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने** नामक श्रृंखला के एक भाग के रूप में तैयार की गयी है।

सी.एच.आर.आई. एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र, गैर–लाभकारी, गैर–सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने को बढ़ावा देना है। सी.एच.आर.आई. मानवाधिकार मुद्दों के बारे में शिक्षित करता है और मानवाधिकार मानदंडों के अधिक अनुपालन की वकालत करता है और अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.humanrightsinitiative.org को देखें।

अवधारणा	:	श्रीमता माजा दारूवाला
विषय वस्तु और अनुसंधान समन्वयक	:	डा. दोएल मुकर्जी
आलेख	:	सुश्री वसुधा रेड्डी
अनुसंधान दल	:	श्री अर्नव दयाल, श्री शुमो एस. चटर्जी
अनुवादक	:	श्रीमती शालिनी भूषण
आवरण अवधारणा और लेआउट/अभिकल्प	:	श्री रंजन कुमार सिंह और डा. दोएल मुकर्जी
रेखांकन	:	श्री सुरेश कुमार
सहायक कर्मचारी	:	सुभाष कुमार पात्र, पलनी अजय बाबू
मुद्रक	:	मैट्रिक्स, नई दिल्ली

एक दिन मैरी कमला नगर में नीता के घर जा रही थी कि अचानक एक व्यक्ति ने उसे रोका और उससे उसका बटुआ छीनना चाहा। मैरी ने विरोध किया तब उस व्यक्ति ने एक चाकू निकाला। उसने धमकी दी कि यदि वह उसे अपना पैसा नहीं देगी तो वह उसे मार देगा। मौत के डर से मैरी ने उस आदमी को अपना बटुआ दे दिया और वह इसे लेकर भाग गया।

एक संज्ञेय अपराध

जब मैरी नीता के घर पहुंची तो उसने उसे घटना के बारे में बताया। अपनी मित्र की बातें सुनने के बाद नीता ने कहा ''हमें तुरन्त थाने चलना चाहिए और एक एफ.आई.आर. दर्ज करानी चाहिए। चलो।''

''रूको!'' मैरी ने कहा, ''...मुझे नहीं मालूम **एफ.आई.आर. क्या है?**''

''एफ.आई.आर. का अर्थ है, प्रथम सूचना रिपोर्ट'', नीता ने बताया। **''यह एक दस्तावेज है जो पुलिस किसी संज्ञेय अपराध होने की शिकायत मिलने पर लिखती है और दर्ज करती है।''**

''संज्ञेय अपराध, इसका अर्थ क्या है?'' मैरी ने कहा।

''देखो! हम लोगों को अलग–अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं; करते हैं कि नहीं? उदाहरण के लिए अगर हम लोगों को लंबाई के अनुसार देखें तो हम कहते हैं कि लोग लंबे होते हैं और छोटे होते हैं। अगर हम लोगों को व्यवसाय के अनुसार देखें तो हम कहते हैं कि लोग डाक्टर होते हैं, पत्रकार होते हैं, सैनिक होते हैं और इसी तरह के व्यवसाय के लोग होते हैं। उसी तरह अपराध को वर्गीकृत करने का अलग–अलग तरीका होता है।'' नीता ने आगे बताया, ''ऐसा ही एक वर्गीकरण संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के बीच होता है। **हत्या, बलात्कार, चोरी जैसे गंभीर अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अर्थात अदालत का कोई आदेश पाए बगैर गिरफ्तार कर सकती है।'',** नीता ने स्पष्ट किया।

''तब असंज्ञेय अपराध क्या है?'' मैरी ने कहा।

''असंज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। ऐसे मामलों में वह स्वयं जांच कार्य शुरू नहीं कर सकती है और इसके लिए उन्हें अदालत की अनुमति का इंतजार करना होता है। ये अपराध कम गंभीर होते हैं जैसे कि लोक अशांति, साधारण नुकसान, झगड़ा, आदि। क्या तुमने संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बीच अर्थ को समझा?'' नीता ने पूछा।

''हां, मैंने समझा! तुमने मुझे यह स्पष्ट किया इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया।'' मैरी ने उत्तर दिया। ''यह ठीक है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अन्तर का पता चला, लेकिन

एक बात याद रखो तुम एफ.आई.आर. तभी दर्ज कर सकती हो जब कोई संज्ञेय अपराध हुआ हो।'' नीता ने कहा।

''क्या कोई और बात है जो हमें एफ.आई.आर. के बारे में जाननी चाहिए?'' मैरी ने पूछा। ''जैसे–जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं तुम्हें और बातें स्पष्ट करूंगी, अब हम चलें।'' नीता ने कहा।

जैसे–ही लड़कियां थाने की ओर बढी। मैरी ने कहा, ''नीता मुझे आश्चर्य हो रहा था..... **कि एफ.आई.आर. कौन दर्ज कर सकता है? चूंकि मेरा पर्स चोरी हुआ है क्या यही कारण है कि सिर्फ मैं ही एफ.आई.आर. दर्ज करा सकती हूं या कोई और आदमी मेरी ओर से एफ.आई.आर. दर्ज करा सकता है?''**

नीता ने स्पष्ट किया ''एफ.आई.आर. सिर्फ पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही दर्ज नहीं की जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसे इस अपराध की जानकारी है एफ.आई.आर. दर्ज करा सकता है। यदि आपको किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी है तो एफ.आई.आर. किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जा सकती है,। अतः मूख्यतौर पर **कोई भी व्यक्ति एफ.आई.आर. दर्ज करा सकता है, यदि –**

1. **वह पीड़ित है, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है** जैसे कि तुम क्योंकि तुम्हारा पर्स छीना गया है या
2. **उसे जिसे किसी अपराध के होने की जानकारी है** जैसे कि मैं या कोई भी व्यक्ति जिसे तुमने अपराध के बारे में बताया क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारा पर्स छीना गया है या

3. **उसने अपराध होते हुए देखा है** ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने तुम्हारा पर्स छीने जाते हुए देखा हो।''

''ठीक है! मैं इसे समझ गयी लेकिन मेरा एक और प्रश्न है। देखो, मेरे पड़ोसी शर्मा जी और खन्ना जी एक बार इस बात पर लड़ गए थे कि घर के सामने अपनी गाड़ी कौन खड़ी करेगा।'' मैरी ने आगे बताया, ''खन्ना जी ने पुलिस से शिकायत की परन्तु उन्होंने जांच करने से इंकार कर दिया। इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि क्या पुलिस लोगों द्वारा की गई हर शिकायत की जांच करती है या फिर वह सिर्फ काफी गंभीर शिकायत की ही जांच करती है?'' नीता ने कहा, ''मैरी! हम पुलिस थाना जाने के पहले क्यों न दादाजी के पास चलें ताकि हम एफ.आई.आर. और इसके उपयोग के बारे में पूरी तरह समझ सकें। वह इसे इतने स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि जब भी हम थाने जाएं हमें इससे संबंधित सभी कानूनों की जानकारी होगी।''

एक असंज्ञेय अपराध

यह कहते हुए दोनों लड़कियां तुरन्त दादाजी के घर की ओर चल पड़ी जहां

दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। नीता ने कहा, ''दादाजी, दादाजी, कृपया हमें इस बारे में कुछ बताइए कि पुलिस किस प्रकार यह निर्णय लेती है कि उसे किस मामले की जांच करनी चाहिए? क्या वह सभी मामलों की जांच करती है?'' दादाजी ने अपना समाचार पत्र मोड़ा और कहा, ''बेटा! इस प्रश्न का उत्तर है नहीं – **पुलिस लोगों द्वारा दर्ज सभी शिकायतों की जांच नहीं करती है।** इस बारे में सोचो जब एक दिन पी.सी.ओ. बूथ मालिक विनीत और रामू काका अपनी दुकान के नजदीक पानी के नलके पर लड़ रहे थे। अब तुम यह सोचते हो कि क्या हम उन दोनों के बीच इस छोटी सी कहा–सुनी की तुलना, हत्या के मामले या दहेज की मांग या तुम्हारे पर्स तुमसे छीने जाने के मामले से कर सकते हैं? हत्या, बलात्कार, चोरी सभी गंभीर अपराध हैं और इन सभी मामलों में जांच अवश्य की जानी चाहिए।

एक असंज्ञेय अपराध

एफ.आई.आर. दायर किए जाने के बावजूद पुलिस को निम्नलिखित मामलों

में शिकायत की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, यदिः

1. **मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है** – जैसे कि शर्मा जी और खन्ना जी या विनीत और रामू काका के बीच लड़ाई।
2. **वह महसूस करती है कि जांच का पर्याप्त आधार नहीं है जैसे कि किसी व्यक्ति की हत्या जैसे गैर**–कानूनी काम में शामिल होने के लिए चाकू या खून से सने कपड़े जैसे पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं है।

परन्तु दोनों मामलों में **पुलिस को यह कारण अवश्य बतानी चाहिए कि वह जांच कार्य क्यों नहीं शुरू कर रही है और यदि जांच के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो उन्हें आपको अवश्य सूचित करनी चाहिए।''** दादाजी ने स्पष्ट किया।

''आपने 'आवश्य' शब्द का उपयोग किया। क्या इसका अर्थ यह है कि कुछ ऐसे नियम हैं जो पुलिस को यह बताते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है?'' नीता ने कहा। ''निःसन्देह! ऐसे नियम हैं नीता, **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या संक्षेप में सी.आर.पी.सी. नामक एक दस्तावेज है। सी.आर.पी.सी. की विभिन्न धाराओं में पुलिस के कर्तव्य और विभिन्न नियम दिए गए हैं जो किसी अपराध के घटित होने और शिकायत किए जाने की स्थिति में अपनाए जाते हैं और चूंकि सी.आर.पी.सी. एक कानून है अतः इसका अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए''** दादाजी ने बताया।

''ठीक है, मैं समझ गई। यदि हम किसी अपराध में चाहे पीड़ित अथवा संदिग्ध

व्यक्ति के रूप में फंस जाते हैं तो एक नागरिक के रूप में हमारे अधिकारों का सी. आर.पी.एस. संरक्षण करती है। ठीक है, दादाजी तो क्या हमें मैरी का मामला दर्ज करने के लिए थाने जाना चाहिए'', नीता ने कहा।

''ठीक है बेटा, याद रखना पहले फ्रंट डेस्क अधिकारी के पास जाना और उससे एक एफ.आई.आर. फार्म मांगना और यह प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। एक बार औपचारिकता पूरी करने के बाद वापस आकर तुम मुझे बताओ'', दादाजी ने कहा।

लड़कियां थाने गयी और कमरे के सामने एक डेस्क के पास पहुंची जहां इंस्पेक्टर खान बैठे थे और वह फाइल देख रहे थे। ''नमस्कार महोदय, आज दोपहर मेरा पर्स मुझसे छीन लिया गया। मैं एक एफ.आई.आर. दर्ज करना चाहती हूं'', मैरी ने कहा।

इंस्पेक्टर ने ऊपर देखा और कहा, ''नमस्कार, आप मौखिक रूप से एफ.आई.आर. दर्ज करना चाहती हैं या लिखित रूप से?'' ''लिखित रूप से महोदय'', मैरी ने उत्तर दिया।

इंस्पेक्टर खान ने मेज का दराज खोला और एक कागज निकाला। आप उस कुर्सी पर बैठ जाए और इसमें घटना का ब्यौरा लिखें। उन्होंने कमरे के कोने में रखी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। लड़कियां कुर्सी की ओर गई, बैठी और मैरी ने लिखना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, ''मैंने इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया.....मैं कोई गलती करना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे बताओगी कि **एक लिखित एफ.आई.आर. में कौन–कौन सी महत्वपूर्ण बातों का**

उल्लेख किया जाता है?''

नीता ने कहा, ''दादाजी ने बताया है कि हमें लिखित एफ.आई.आर. में 6 बातों का अवश्य उल्लेख करना चाहिए, और ये बातें हैं:–

1. **तुम्हारा नाम और पता**
2. **घटना का ब्यौरा, दूसरे शब्दों में घटना के तथ्य**
3. **घटना कब घटी – घटना की तारीख और समय**
4. **घटना कहां घटी – घटना का स्थान**
5. **घटना में कौन शामिल था – उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसने अपराध किया है और उसका नाम, यदि तुम्हें जानकारी हो**
6. **गवाह – उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसने घटना को होते हुए देखा हो और उसका नाम, यदि तुम्हे जानकारी हो।''**

''नीता, मेरी एक और समस्या है। मैंने तुमसे बताया कि चोर ने चाकू दिखाकर मुझे सिर्फ धमकी दी थी। क्या मैं एफ.आई.आर. में यह लिख सकती हूं कि उसने मुझे थप्पड़ भी मारा था और मेरा हाथ उमेठा था। हालांकि वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन यदि मैं इसे लिखूं तो उसके खिलाफ मेरा मामला मजबूत हो जाएगा.....मैं वास्तव में चाहती हूं कि वह पकड़ा जाए'' मैरी ने कहा।

''नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैरी'' नीता ने जोर से कहा। **''तुम्हें कभी भी कोई गलत शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए या पुलिस को गलत सूचना नहीं देनी चाहिए। ऐसा करना भी एक अपराध है।** मैं जानती हूं तुम चाहती हो कि अपराधी पकड़ा जाए, परन्तु **पुलिस को गलत तथ्यों या गलत**

जानकारी से गुमराह करना भी एक दांड़िक अपराध है और ऐसा करने पर कानून के अंतर्गत तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है।''

''मुझे यह बिल्कुल मालूम नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि घटना को वास्तविक स्थिति से अधिक गंभीर बनाना गलत होगा। चिंता मत करो नीता मैं इसमें कोई भी अतिरिक्त बात नहीं लिखूंगी'' मैरी ने कहा और उसने फार्म पर लिखना शुरू किया। यह ठीक है। ''अब यदि तुमने एफ.आई.आर. पूरा कर लिया है और इस पर हस्ताक्षर कर दिया है तो इसे इंस्पेक्टर खान को दे दो'' नीता ने कहा। ''मैंने इसे पूरा कर लिया है, हम चलते हैं'' मैरी ने कहा।

''जब तुम इसे उन्हें दो तो एफ.आई.आर. की एक प्रति लेना याद रखना'' नीता ने कहा। **''इसकी एक निःशुल्क प्रति लेना तुम्हारा अधिकार है''** जैसे ही दोनों इंस्पेक्टर खान की मेज की ओर बढ़े उसने आगे कहा। जैसे ही मैरी ने इंस्पेक्टर को एफ.आई.आर की प्रति सौंपी, उसने कहा, ''अभी मैं इन केस फाइलों में व्यस्त हूं। मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करूंगा और दस मिनट में औपचारिकताएं पूरी कर लूंगा। ठीक है!'' मैरी और नीता ने सिर हिलाया और कमरे के कोने में रखी कुर्सियों पर वापस बैठ गयी।

हवलदार भान जो ड्यूटी पर नहीं था एक बेंच पर आराम कर रहा था। उसने नीता को पहचान लिया और कहा, ''नीता दीदी आप यहां क्या कर रही हैं?'' नीता मुस्कुराई और कहा, ''हवलदार साहब मेरी दोस्त मैरी का पर्स आज चोरी हो गया और इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि हमें एफ.आई.आर. दर्ज करने की पूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इंतजार करना होगा'' नीता ने कहा। ''हवलदार साहब, क्या आप हमें मौखिक रूप से दर्ज एफ.आई.आर. और लिखित एफ. आई.आर. के बीच अंतर को कृपया बतायेंगे?''

''हां, क्यों नहीं?'' हवलदार भान ने उत्तर दिया।

''मौखिक रूप से आप किस प्रकार एफ.आई.आर. दर्ज करते हैं? यदि मैं अपना एफ.आई.आर. मौखिक रूप से दर्ज करना चाहती तो क्या होता?'' मैरी ने कहा। ''ठीक है, **पहले तुम ड्यूटी अधिकारी को सभी जानकारी दोगी कि अपराध किस प्रकार हुआ और वह इसे लिखेगा''** हवलदार भान ने कहा। ''परन्तु यदि वह इसे लिखते हुए कोई गलती करता है या जो मैं कहती हूं उसे सही–सही नहीं लिखता है तो क्या होगा?'' मैरी ने कहा। ''यदि ऐसा होता है तो **तुम्हें अवश्य यह देखना चाहिए कि ड्यूटी अधिकारी ने वही जानकारी रिकार्ड की है जो तुमने उसे दिया है। तुम्हे अधिकार है कि तुम उसे पढ़ने को कहो जो लिखा गया है''** हवलदार भान ने स्पष्ट किया।

''उसके बाद क्या होता है?'' मैरी ने कहा। **''इस बात से संतुष्ट होते हुए कि तथ्यों को सही रिकार्ड किया गया है अंतिम बात उस पत्र पर हस्ताक्षर करना है और जो अशिक्षित है उन्हें कागजात पर अंगूठे का निशान लगाना**

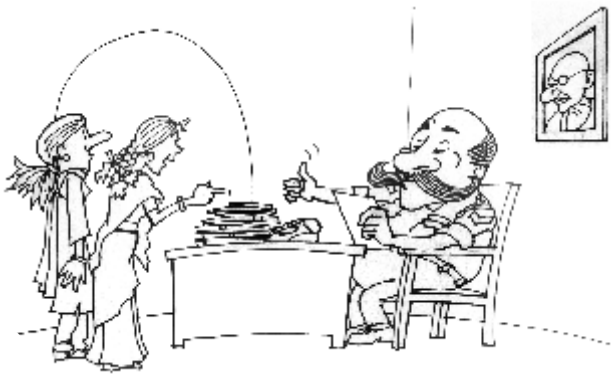

चाहिए'' हवलदार भान ने कहा। उसी समय नीता ने देखा कि इंस्पेक्टर खान उन्हें बुला रहे थे। लड़कियां फ्रंट डेस्क के पास गयी जहां इंस्पेक्टर खान ने उनसे बैठने का आग्रह किया। उसने एफ.आई.आर. लिया और उस पर शीघ्र नजर डाला। वह इससे संतुष्ट प्रतीत हुए। उन्होंने इस पर तुरन्त मुहर लगाया और मैरी को कहा कि ज्यों ही इस मामले में कुछ प्रगति होती है पुलिस उससे मिलेगी। मैरी और नीता ने उसे धन्यवाद दिया और एफ.आई.आर. की एक प्रति लेकर चली गयीं।

लड़कियां वापस अपने मुहल्ले में गयीं और सीधे दादाजी के पास आयीं और उन्हें कहा कि पुलिस ने मामले को ले लिया है। मैरी ने पूछा, ''परन्तु दादाजी मैंने अनेको बार समाचार–पत्र में पढ़ा है कि पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज करने से इनकार कर देती है या फिर वह कानून लागू करने में पक्षपात करती है या वह भ्रष्ट है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? **यदि पुलिस आपका एफ.आई.आर. दर्ज करने से इनकार कर दे तो आपको क्या करना चाहिए?''**

दादाजी ने अपनी ठुड्डी सहलायी और कहा, ''मुख्य तौर पर तीन बातें हैं जो ऐसी स्थिति में तुम कर सकती हो। तुमः

1. **जिला के पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप–महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से मिल सकती हो और उन्हें इस संबंध में लिख सकती हो और उनके ध्यान में अपनी शिकायत ला सकती हो। तुम पंजीकृत डाक से पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भी भेज सकती हो; या**
2. **तुम अदालत, जिसके क्षेत्राधिकार में वह क्षेत्र है, के पास एक निजी शिकायत भी दर्ज कर सकती हो; या**
3. **यदि राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग है तो उसे या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पंजीकृत डाक या फैक्स द्वारा एक लिखित शिकायत भेज सकती हो'', दादाजी ने कहा।**

''इस प्रकार मैं समझती हूं कि कोई कानून या स्थापित प्रक्रिया है जिसका हम सहारा ले सकते हैं'' नीता ने कहा। ''मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने और मुझे एफ.आई.आर. दर्ज कराने की सारी प्रक्रिया बताने के लिए आपका बहुत–बहुत शुक्रिया। वास्तव में आपके सहयोग के बिना मैं इसे नहीं कर पाती'' मैरी ने कहा।

''कोई बात नहीं है'', दादाजी ने कहा। ''यदि पुलिस तुमसे कुछ और जानकारी मांगती है या फिर यदि वह तुम्हारे मामले में कुछ प्रगति करती है तो तुम मुझे बुला सकती हो।'' मैं ऐसा ही करूंगी, मैरी ने कहा। आपको फिर धन्यवाद।

इस पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने श्रृंखला में निम्नलिखित पुस्तिका शामिल है :

- प्रथम सूचना
- गिरफ्तारी और रोक
- पुलिस पूछताछ
- विधिक सहायता सेवा
- अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार अधिनियम
- जमानत
- मौलिक अधिकार

गृह मंत्रालय

मानवाधिकार विभाग

भारत सरकार